बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक.................

संख्या–08/आ०–05–93/2018................./उप सचिव–नोडल पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1849 दिनांक 26.11.2018 के माध्यम से e-compliance dashboard अंतर्गत (डायरी सं०–2018065464 दिनांक 19.11.2018) श्री राकेश शर्मा, आर०टी०आई० कार्यकर्त्ता, आनन्द बाजार, दानापुर द्वारा श्री दिनेश कुमार पंकज, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, दानापुर, पटना के विरूद्ध समर्पित परिवाद पत्र आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया। उक्त परिवाद पत्र पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 107 दिनांक 18.01.2019 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1711 दिनांक 17.06.2020 द्वारा श्री दिनेश कुमार पंकज, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, दानापुर, पटना के विरूद्ध दिनांक 19.01.2020 को आयोजित की जानेवाली मानव–श्रृंखला के समीक्षा बैठक दिनांक 12.01.2020 में भाग नहीं लेने, उक्त से संबंधित कार्यों में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दानापुर को सहयोग नहीं करने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 2100 दिनांक 08.08.2020 द्वारा कतिपय आरोपों को प्रतिवेदित किया गया।

तदालोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1001 दिनांक 28.12.2020 द्वारा श्री पंकज से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गई।

उक्त के अनुपालन में श्री पंकज के पत्रांक 26 दिनांक 12.01.2021 द्वारा लिखित बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 326 दिनांक 13.04.2021 एवं पत्रांक 764 दिनांक 20.12.2021 द्वारा श्री पंकज के बचाव अभिकथन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से मंतव्य प्रतिवेदन की मांग की गई। उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

आरोपी पदाधिकारी, श्री पंकज के विरूद्ध आरोप, उनसे प्राप्त बचाव अभिकथन एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों से निरीक्षण एवं वेतनादि भुगतान के क्रम में श्री पंकज द्वारा राशि की वसूली से संबंधित कोई भी साक्ष्य परिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

दिनांक 24.08.2018 को श्री पंकज की तबियत खराब होने के कारण श्री पंकज नगरपालिका मध्य विद्यालय, खगौल, दानापुर में राष्ट्रगान में सम्मिलित नहीं हो सके।

श्री राकेश कुमार, अध्यक्ष, बिहार पंचायत–नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, पटना द्वारा सूचना की मांग की गई। सूचना नियमानुकूल नहीं होने के कारण श्री पंकज द्वारा आवेदक, श्री कुमार को सूचना नहीं दी गई। राज्य सूचना आयोग, पटना द्वारा दिनांक 19.11.2019 को पारित आदेश में उक्त सूचना से संबंधित अपीलवाद को खारिज कर दिया गया।

श्री राकेश कुमार, अध्यक्ष, बिहार पंचायत–नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, पटना एवं श्री राकेश शर्मा, आर.टी.आई कार्यकर्त्ता द्वारा की गई शिकायत के संबंध में श्री पंकज के पत्रांक 351 दिनांक 18.06.2020 द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्था०), पटना को सभी आवश्यक कागजात उपलब्ध कराया गया, जिसके अवलोकन से आरोप की पुष्टि नहीं होती है।

श्री पंकज का प्रखंड विकास पदाधिकारी, दानापुर द्वारा दिनांक 12.01.2020 को निर्धारित बैठक में उपस्थित होने के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा दिनांक 12.01.2020 को आहूत जल–जीवन–हरियाली, नशा–मुक्ति, बाल–विवाह एव दहेज–प्रथा उन्मूलन से संबंधित बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 151 दिनांक 19.01.2022 द्वारा समर्पित मंतव्य प्रतिवेदन में श्री पंकज के विरूद्ध आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है। श्री पंकज दिनांक 31.01.2022 को ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, पटना द्वारा समर्पित साक्ष्य तथा कार्यालयीय अभिलेख के आधार पर श्री पंकज का बचाव अभिकथन स्वीकार योग्य है।

अतः समीक्षोपरांत श्री दिनेश कुमार पंकज, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, दानापुर, पटना–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के बचाव अभिकथन पर विचार करते हुए उन्हें आरोप से मुक्त किया जाता है।

इसके साथ ही इस मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक–08/आ०–05–93/2018–448
पटना, दिनांक 06.04.2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–17(पेंशन शाखा)/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), पटना/श्री दिनेश कुमार पंकज, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, दानापुर, पटना–सम्प्रति–सेवानिवृत्त, पत्राचार का पता–मुहल्ला–कच्ची दरगाह, थाना–फतुहाँ (नदी), पटना–803201, मो० नं०–9431647989 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे संबंधित को ई–मेल करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)